भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3560
दिनांक 24.07.2019/2 श्रावण, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

**महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार**

**3560. डा॰ कनवर दीप सिंहः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार के मामलों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है;**
**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**
**(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकांश मामलों में उन महिलाओं और बच्चों, जिनका दुर्व्यापार किया गया, का पता नहीं लग पाता है;**
**(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान कितने लापता बालिकाओं और बच्चों का पता लगाया गया;**
**(ङ) क्या सरकार ने उनके लिए जो अगवा किये गये थे और ढूंढ़ लिए गए थे, पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया है; और**
**(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?**

उत्तर

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) से (घ): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में मानव दुर्व्यापार सहित अपराध पर सूचना को संकलित तथा प्रकाशित करता है। अद्यतन प्रकाशित आंकड़ा वर्ष 2016 से संबंधित है।

विगत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं और बच्चों की सूचित दुर्व्यापार की कुल संख्या निम्नानुसार है:

**रा.स.अ.प्र.सं. 3560**

| 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **महिला** | **बच्चे** | **महिला** | **बच्चे** | **महिला** | **बच्चे** |
| 3843 | 5985 | 4752 | 7148 | 5239 | 9034 |

वर्ष 2014 से 2016 के दौरान दुर्व्यापार से बचाए गई महिलाओं और बच्चों की संख्या नीचे दी गई है:

| 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **महिला** | **बच्चे** | **महिला** | **बच्चे** | **महिला** | **बच्चे** |
| 6578 | 8956 | 11889 | 11898 | 7238 | 14183 |

वर्ष 2014 से 2016 के दौरान पता लगाए गई लापता लड़कियों और बच्चों के मामलों की संख्या नीचे दी गई है:

| **वर्ष** | **पता लगाए गए बच्चों की कुल संख्या** | **लड़कियों की संख्या (बच्चों की कुल संख्या में से)** |
|---|---|---|
| 2014 | 65792 | 39156 |
| 2015 | 54449 | 32301 |
| 2016 | 55944 | 35580 |

(ङ) और (च): महिला और बाल विकास मंत्रालय दुर्व्यापार से निपटने के लिए 'उज्ज्वला' स्कीम को पांच विशेष घटकों - दुर्व्यापार के पीड़ितों के बचाव, रिहाई, पुनर्वास, पुनर्मिलन और प्रत्यावर्तन के साथ कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत पीड़ितों को समाज के साथ पुन: जोड़ने के साथ-साथ उनके लिए भोजन, आश्रय, परामर्श, चिकित्सीय देखभाल, विधिक सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके उनके पुनर्वास का प्रावधान किया गया है। इस

**रा.स.अ.प्र.सं. 3560**

स्कीम के अंतर्गत 254 परियोजनाएं हैं तथा देश में 134 सुरक्षा एवं पुनर्वास गृह स्थापित किए गए हैं। पुनर्वास केंद्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

| **क्र.सं.** | **राज्य का नाम** | **उज्ज्वला घरों की संख्या** | **लाभार्थियों की संख्या** |
|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4 | 150 |
| 2. | असम | 19 | 607 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 3 | 75 |
| 4. | सिक्किम | 1 | 14 |
| 5. | कर्नाटक | 18 | 337 |
| 6. | केरल | 3 | 100 |
| 7. | महाराष्ट्र | 23 | 1150 |
| 8. | मणिपुर | 19 | 950 |
| 9. | मिजोरम | 1 | 60 |
| 10. | नागालैंड | 1 | 25 |
| 11. | राजस्थान | 7 | 250 |
| 12. | ओडिशा | 12 | 600 |
| 13. | तमिलनाडु | 4 | 98 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 2 | 100 |
| 15. | उत्तराखंड | 2 | 100 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | 2 | 100 |
| 17. | गुजरात | 8 | 325 |
| 18. | तेलंगाना | 5 | 250 |
| | **कुल** | **134** | **5291** |

******